

संचालनालय, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी ,  
सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष), छत्तीसगढ़, रायपुर  
बी.ए.एम.एस./बी.एच.एम.एस./बी.एन.वाय.एस./बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम  
सत्र 2018-19 में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग कार्यक्रम

-:: तृतीय चरण की काउंसिलिंग सूचना ::-

काउंसिलिंग स्थल :- शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, जी.ई.रोड, रायपुर (छ.ग.)

बी.ए.एम.एस./बी.एच.एम.एस./बी.एन.वाय.एस./बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम, सत्र 2018-19 में भारत सरकार, आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी मंत्रालय (आयुष) विभाग नई दिल्ली/राज्य शासन से प्राप्त अनुमति तथा संबंधित विश्वविद्यालय की सम्बद्धता/अनुमति के आधार पर शासकीय/निजी क्षेत्र के आयुष महाविद्यालयों की सीटों पर प्रवेश हेतु काउंसिलिंग आयोजित है। प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) 2018 में सम्मिलित एवं संचालनालय आयुष द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक 31.8.2018 के अनुसार पंजीकृत छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को श्रेणी/संवर्गवार काउंसिलिंग हेतु आमंत्रित किया जाता है, ऐसे उम्मीदवार जिनका प्रकाशित मेरिट सूची में प्राप्तांक, श्रेणी/संवर्गवार निम्नानुसार है वे इस सूचना के आधार पर काउंसिलिंग में अवसर (चान्स) लेने हेतु उपस्थित हो सकते हैं :-

समय सारिणी

दिनांक	श्रेणी/संवर्ग	रजिस्ट्रेशन का समय	नीट प्रवेश परीक्षा के कुल प्राप्तांक (परसेन्टाइल)
22.10.2018 (सोमवार)	अनारक्षित (निल)	प्रातः 8.30 से 10.30 बजे तक	240 से 140 (78.125490 से 57.128514 तक)
	(सैनिक)	-----"	289 से 173 (84.441788 से 65.925203 तक)
	(एफ.एफ.)	-----"	392 से 164 (93.377305 से 63.764281 तक)
	(दिव्यांग)	-----"	559 से 203 (99.530443 से 72.086138 तक)
	अजजा (निल)	प्रातः 10.30 से 12.30 बजे तक	252 से 96 (79.832210 से 40.345187 तक)
	(सैनिक)	-----"	184 से 126 (68.342834 से 52.648629 तक)
	(एफ.एफ.)	-----"	146 (58.988945 )
	(दिव्यांग)	-----"	109 (46.037194 )
23.10.2018 (मंगलवार)	अजा (निल)	प्रातः 8.30 से 10.30 बजे तक	137 से 96 (56.266728 से 40.345187 तक)
	अजा(दिव्यांग)	-----"	-----
	अपिव (निल)	प्रातः 10.30 से 12.30 बजे तक	295 से 203 (85.099152 से 72.086138 तक)
	(दिव्यांग)	-----"	203 (72.086138)

(अ) प्रवेश नियम 2018 की कंडिका 8(15)(ज) में निहित प्रावधान अनुसार किसी भी श्रेणी के अन्तर्गत (सैनिक),(एफ.एफ.),(दिव्यांग) के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर रिक्त स्थानों को उसी श्रेणी के बिना संवर्ग में परिवर्तित कर भरा जावेगा।

(ब) उपरोक्तानुसार श्रेणी/संवर्गवार दर्शाए गए अंकों से अधिक अंको वाले ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम/द्वितीय चरण की काउंसिलिंग दिनांक 18,19 एवं 27.9.2018 में चयनित/उपस्थित नहीं हो सके हैं वे भी काउंसिलिंग में अवसर (चान्स) लेने हेतु उपस्थित हो सकते हैं।

(स) महाविद्यालयवार रिक्त सीटों की संख्या /जानकारी परिशिष्ट 'अ' अनुसार है।



सभी उम्मीदवार निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ उक्त निर्धारित स्थान, तिथि एवं समय पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होंगे, ऐसा न करने पर वे प्रवेश का अवसर खो देंगे :-

1. नीट परीक्षा का प्रवेश-पत्र ।
2. नीट प्रवेश परीक्षा-2018 की अंकसूची ।
3. ऑनलाइन पंजीयन की प्रति ।
4. दसवीं की मूल अंकसूची ।
5. बारहवीं की मूल अंकसूची ।
6. स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र ।
7. स्थायी जाति प्रमाण-पत्र (नियम 4 (2) के अनुसार) ।
8. अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु जाति प्रमाण-पत्र सहित विगत तीन वर्षों का आय प्रमाण पत्र (जो कि शासकीय/केन्द्र शासन के कार्यालय का फार्म-16 अथवा तहसील कार्यालय से जारी किया गया हो) ।
9. छत्तीसगढ़ राज्य के संभागीय मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी शारीरिक दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र (नियम 4 (3) के अनुसार) ।
10. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का प्रमाण-पत्र । (नियम 4 (3) के अनुसार)
11. सैनिक संवर्ग हेतु जिला सैनिक कल्याण अधिकारी का प्रमाण पत्र । (नियम 4 (3) के अनुसार)
12. अभ्यर्थियों को चिकित्सकीय उपयुक्तता सिद्ध करने के लिये प्रवेश प्राप्त करने के पूर्व अपनी चिकित्सकीय जांच करानी होगी । इस हेतु उन्हें सिविल सर्जन द्वारा प्रदत्त चिकित्सकीय उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
13. दिव्यांगता संवर्ग में प्रवेश का लाभ प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के संभागीय मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र ही मान्य होगा ।
14. अध्ययन में यदि व्यवधान हो तो कारण सहित नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र (गैप सर्टिफिकेट) अनिवार्य है ।
15. उपरोक्त दस्तावेजों की अभिप्रमाणित छायाप्रतियों का एक सेट एवं दो पासपोर्ट साईज फोटो भी साथ लावें ।
16. **शैक्षणिक शुल्क :-**

- (1) अभ्यर्थी को प्रवेश की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए **शैक्षणिक शुल्क** की राशि नगद अथवा बैंक डाफ्ट / बैंकर्स चेक के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा, जो "प्राचार्य, शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)" या "**Principal, Government Autonomous Ayurvedic College, Raipur (C.G.)**" के नाम पर किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का बना हो, एकाउंटपेयी हो तथा रायपुर में देय हो ।
- (2) काउंसिलिंग के समय शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, रायपुर/बिलासपुर के शुल्क का 50 प्रतिशत - सामान्य / ओ.बी.सी.के लिए **₹ 4,318/-** तथा अनुसूचित जाति /जनजाति के लिए **₹. 1,618/-** तत्काल जमा करना अनिवार्य है ।
- (3) काउंसिलिंग के समय प्रदेश के निजी क्षेत्र के भारती आयुर्वेद महाविद्यालय, दुर्ग/छत्तीसगढ़ आयुर्वेद महाविद्यालय, मनकी राजनांदगांव के शुल्क का 50 प्रतिशत **₹. 55,620/-** राजीव लोचन आयुर्वेद महाविद्यालय चंदखुरी दुर्ग के शुल्क का 50 प्रतिशत **₹. 56620/-** तत्काल जमा करना अनिवार्य है । महावीर कालेज आफ आयुर्वेदिक साइन्स राजनांदगांव के शुल्क का 50 प्रतिशत **₹. 55,620/-** तत्काल जमा करना अनिवार्य है । शैक्षणिक सत्र 2018-19 हेतु फीस निर्धारण प्रक्रियाधीन है अन्तर की राशि उभय पक्षों द्वारा मान्य होगी ।
- (4) काउंसिलिंग के समय प्रदेश के निजी क्षेत्र के छदामी लाल चौकसे मेमो. होम्योपैथी चिकि. महाविद्यालय बिलासपुर के शुल्क का 50 प्रतिशत **₹. 28,140/-**, रायपुर होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर के शुल्क का 50 प्रतिशत **₹. 27,640/-**, महाराणा प्रताप होम्योपैथी मेडि.कालेज, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर के शुल्क का 50 प्रतिशत **₹. 27,140/-**, प्राकृतिक एवं योग विज्ञान चिकित्सा महाविद्यालय, नगपुरा, दुर्ग के शुल्क का 50 प्रतिशत **₹. 27,640/-** तथा मोहसीने मिल्लत यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर के शुल्क का 50 प्रतिशत **₹. 29,400/-** तत्काल जमा करना अनिवार्य है ।
- (5) काउंसिलिंग के समय पाठ्यक्रम/ महाविद्यालय का चयन करने पर निर्धारित शुल्क की 50 प्रतिशत राशि तत्काल जमा न करने पर अभ्यर्थी चयन का अवसर खो देगा ।
- (6) शुल्क की शेष राशि अभ्यर्थी को प्रवेश के समय महाविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा ।

- नोट :- (1) यदि कोई सेमेस्टर एक वर्ष छः माह का है तो अभ्यर्थी से अनुपातिक एक वर्ष छः माह का शुल्क लिया जावेगा ।
- (2) सीटों का विस्तृत विवरण काउंसिलिंग स्थल पर काउंसिलिंग के समय चस्पा किया जावेगा ।
- (3) काउंसिलिंग के दौरान उन्हीं महाविद्यालयों की सीटों पर आबंटन किया जाएगा, जिन्हें भारत सरकार/ राज्य शासन से अनुमति तथा संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता/निरंतरता प्राप्त होगी ।

संयोजक  
आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी,  
सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) छत्तीसगढ़



सत्र 2018-19 बी.ए.एम.एस./बी.एन.वाय.एस. एवं बी.एच.एम.एस. पाठ्यक्रमों के शासकीय स्वशासी आयुर्वेद/निजी क्षेत्र के महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु उपलब्ध श्रेणी एवं संवर्गवार सीटों की संख्या

स. क्र.	महाविद्यालय का नाम	कुल सीट	अनारक्षित						अनुसूचित जनजाति						अनुसूचित जाति						अन्य पिछड़ा वर्ग		
			सै.	एफ.एफ.	दिव्यांग	निल	योग	सै.	एफ.एफ.	दिव्यांग	निल	योग	सै.	एफ.एफ.	दिव्यांग	निल	योग	सै.	एफ.एफ.	दिव्यांग	निल	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर	5	0	1	1	0	2	1	1	1	0	3	-	-	-	0	0	-	-	-	0	0	
2	शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय बिलासपुर	5		1	1	0	2	1	1	1	0	3	-	-	-	0	0	-	-	-	0	0	
3	छ.ग. आयुर्वेद मेडिकल कालेज मनकी राजनांदगांव	60	1	1	1	23	26	1	1	1	16	19	-	-	-	7	7	-	-	-	8	8	
4	भारती आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल पुलगांव चौक, दुर्ग	60	1	1	1	23	26	1	1	1	16	19	-	-	-	7	7	-	-	-	8	8	
5	महावीर कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइन्स राजनांदगांव	60	1	1	1	23	26	1	1	1	16	19	-	-	-	7	7	-	-	-	8	8	
6	सी.एल.चौक्से मेमो. होम्योपैथी मेडि. कालेज, लालखदान, बिलासपुर	100	1	1	2	38	42	1	1	2	28	32	-	-	1	11	12	-	-	1	13	14	
7	श्रीमहावीर प्रकृतिक एवं योगविज्ञान महा. राधिका नगर, सुपेला भिलाई दुर्ग	50	1	1	1	18	21	-	-	1	15	16	-	-	-	6	6	-	-	-	7	7	
	योग	340	5	7	8	125	145	6	6	8	91	111	0	0	1	38	39	0	0	1	44	45	

नोट - मान्यता/संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों को ही प्रवेश/काउंसिलिंग में भाग लेने की अनुमति दी जावेगी।

संचालक द्वारा अनुमोदित।



उप संचालक

आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, भूगानो  
सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) छत्तीसगढ़